



राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय, जयपुर

योजना की
प्रारम्भ तिथि
15.11.2017

इन्दिरा गांधी नगर योजना जयपुर में पूर्व पंजीकृत आवेदक एवं आम जनता के लिए नकद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत फ्लैट प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की
अन्तिम तिथि
31.12.2017

इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में अल्प आय वर्ग (जी+3) तथा मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3) के फ्लैटों का नगद भुगतान पद्धति पर आवंटन किया जाना है। उपलब्ध फ्लैटों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	योजना का नाम	आय वर्ग	कुल फ्लैट संख्या	सम्बन्धित खण्ड कार्यालय
1	गुरुशिखर अपार्टमेंट सैक्टर-06	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	23	द्वितीय
2	विन्ध्याचल अपार्टमेंट सैक्टर-07	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	04	द्वितीय
3	शिवालिक अपार्टमेंट सैक्टर-04	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	33	तेरह
4	अरावली अपार्टमेंट सैक्टर-09	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	39	तेरह
5	धवलगिरी अपार्टमेंट सैक्टर-10	अल्प आय वर्ग (जी+3)	01	तेरह
		कुल	100	

आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु

- इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग "अ" में नगद भुगतान पद्धति पर पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष के अनुसार प्रथम वरीयता तथा किराया क्रय पद्धति पर पूर्व पंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा इसके पश्चात् एक आय वर्ग उपर या नीचे पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता दी जायेगी।
- इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में नकद भुगतान पद्धति/किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को चतुर्थ वरीयता तथा नये आवेदकों को पंचम वरीयता
- फ्लैटों का आवंटन "जहां है जैसी स्थिति में है" के आधार पर किया जावेगा।
- इस योजना में दिनांक 15.11.17 से दिनांक 31.12.17 तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन फॉर्म दिनांक 13.11.17 से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से 200/- रुपये नगद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। फ्लैट आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 3.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जावेंगे एवं फ्लैटों का आवंटन उसी दिन उपस्थित आवेदन कर्ताओं के समक्ष सांय 4.00 बजे से शुरू कर दिया जावेगा।

5. आवेदक को उसकी वार्षिक आय के अनुसार, निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई राशि का बैंक ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के पक्ष में देय, बनवाकर आवेदन पत्र के साथ जमा कराना होगा :-

क्र. स.	आय वर्ग जिसके लिए आवेदक योग्य है	वार्षिक आय राशि रू	इस योजना के लिए पंजीकरण राशि रू.	इस योजना के लिए पूर्व ग्रहण राशि रू.	कुल देय डीडी का योग राशि रू.
1	अल्प आय वर्ग	1,00,001 / - से 2,50,000 / - तक	15,000 / -	10,000 / -	25,000 / -
2	मध्यम आय वर्ग (अ) हेतु उपलब्ध फ्लैट	2,50,001 / - से 4,50,000 तक	50,000 / -	40,000 / -	90,000 / -
3	मध्यम आय वर्ग (ब)	4,50,001 / - से 6,00,000 / - तक	80,000 / -	70,000 / -	1,50,000 / -

नोट:-

- आवेदक को अपने आय वर्ग के अनुसार उपरोक्त वर्णित सारणी में निर्धारित पंजीकरण राशि एवं पूर्व ग्रहण राशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त फ्लैटों की निर्धारित लागत के अतिरिक्त लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्ज कुल लागत का 2 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
- फ्लैट की पूर्ण लागत का जी0एस0टी0, लीगल चार्ज एवं नक्शे की राशि भी पृथक से नियमानुसार देय होगी।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन लागू होंगे।
- अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध फ्लैटों की संख्या में कमी/वृद्धि किये जाने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- फ्लैटों की संख्या, क्षेत्रफल, लागत आदि की विस्तृत जानकारी वृत्त/खण्ड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है एवं मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (0141-2723844)	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय (सैक्टर-6 एवं 7 की सम्पत्ति हेतु) 9/721 "ए", मालवीय नगर, जयपुर 0141-2550472	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह (सैक्टर-4, 9 एवं 10 की सम्पत्ति हेतु) सैक्टर-04 (प्रथम तल), इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर 0141-2973963
--	---	---

उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय, जयपुर



राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय, जयपुर

योजना की
प्रारम्भ तिथि
15/11/17

इन्दिरा गांधी नगर योजना जयपुर में पूर्व पंजीकृत आवेदक एवं आम जनता के लिए नकद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत फ्लैट प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की
अन्तिम तिथि
31/12/17

फ्लैटों के आवंटन का वरीयता क्रम :

1. इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग "अ" में नगद भुगतान पद्धति पर पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष के अनुसार उसी आय वर्ग हेतु प्रथम वरीयता तथा किराया क्रय पद्धति पर पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उसी आय वर्ग हेतु द्वितीय वरीयता तथा इसके पश्चात् एक आय वर्ग उपर या नीचे पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता दी जायेगी।
2. इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में नकद भुगतान पद्धति/किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को चतुर्थ वरीयता एवं नये आवेदकों को पंचम वरीयता प्रदान की जायेगी।

इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में विभिन्न आय वर्ग के फ्लैटों का नगद भुगतान पद्धति पर आवंटन किया जाना है। उपलब्ध फ्लैटों का विवरण निम्न प्रकार है।

खुली बिक्री योजना हेतु उपलब्ध फ्लैटों की सूची

दिनांक 15.11.2017

क्र. सं.	फ्लैट संख्या	कुल फ्लैट संख्या	तल	आय वर्ग	प्लिंथ क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	चार्जबल भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	लागत (रूपये में)	संबंधित खण्ड
1	10/L/26	1	द्वितीय तल	अल्प आय वर्ग (जी+3)	44.23	20.41	1403100/-	तेरह
2	6A-M1-GF-02	1	भूतल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	52.848	2526500/-	द्वितीय
3	6C-M1-GF-01, 25, 27 & 28	4	भूतल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	56.460	2566200/-	द्वितीय
4	6C-M1-FF-04, 29, 31 & 32	4	प्रथम तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	43.170	2390000/-	द्वितीय
5	6B-M1-FF-06	1	प्रथम तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	39.560	2350400/-	द्वितीय
6	6B-M1-SF-12	1	द्वितीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	36.238	2306300/-	द्वितीय
7	6A-M1-TF-13 6B-M1-TF-15	2	तृतीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	29.594	2218300/-	द्वितीय

क्र. सं.	फ्लैट संख्या	कुल फ्लैट संख्या	तल	आय वर्ग	प्लिंथ क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	चार्जबल भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	लागत (रूपये में)	संबंधित खण्ड
8	6C-M1-SF-05, 34, 35 & 36	4	द्वितीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	39.850	2346000 / -	द्वितीय
9	6C-M1-TF-8, 22 & 37 to 40	6	तृतीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	32.200	2257900 / -	द्वितीय
10	7D-M1-FF-05 7F-M1-FF-07	2	प्रथम तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	35.68	2298900 / -	द्वितीय
11	7A-M1-TF-14 7D-M1-TF-15	2	तृतीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	25.72	2166900 / -	द्वितीय
12	4-C-33, 49, 52, 68 & 4-D-51	5	भूतल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	48.73	2813400 / -	तेरह
13	4-D-1 & 18	2	भूतल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	52.69	2518000 / -	तेरह
14	4-C-07, 21, 24, 71 & 4-D-53,	5	प्रथम तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	35.44	2637200 / -	तेरह
15	4-D-23	1	प्रथम तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	39.40	2341900 / -	तेरह
16	4-D-26, 43 & 90	3	द्वितीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	36.08	2297900 / -	तेरह
17	4-C-27, 58, 74, 4-D-60, 73	5	द्वितीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	32.12	2593200 / -	तेरह
18	4-C-14, 32, 61, 62, 77, 78, 96 & 4-D-61, 63 & 64,	10	तृतीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	25.74	2505100 / -	तेरह
19	4-D-14 4-D-47	2	तृतीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	29.44	2209900 / -	तेरह
20	9-D-3, G-03, H-02, K-02, K-04, L-03, L-04, M-02 & M-04	9	भूतल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	53.14	2561700 / -	तेरह
21	9-J-06, 07, K-05, 06, 07, L-07, M-05, 08, H-06, F-07	10	प्रथम तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	34.20	2310600 / -	तेरह
22	9-D-11, E-11, G-10, J-09, 10, L-11, 12, M-9, 12	9	द्वितीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	29.45	2247700 / -	तेरह
23	9-C-14, 16, D-14, F-13, H-13, J-13, K-13, L-15 & M-13 to 15	11	तृतीय तल	मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3)	66.44	20.00	2122400 / -	तेरह

नोट :- उपरोक्त लागत के अतिरिक्त आवंटन पत्र में :

- लीज राशि भूमि की लागत का 2.5 प्रतिशत, ए.एस.सी. चार्जज कुल लागत का मध्यम आय वर्ग (अ) के लिए 2 प्रतिशत पृथक से देय होगा।
- फ्लैट की लागत के अतिरिक्त विविध खर्चों पर जी0एस0टी0, लीगल चार्जज एवं नक्शे की राशि भी पृथक से नियमानुसार देय होगी।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन लागू होंगे।

आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु

1. इस योजना में दिनांक 15.11.17 से दिनांक 31.12.17 तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे।
2. आवेदन फॉर्म दिनांक 13.11.17 से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से 200/- रूपये नगद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। फ्लैट आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 3.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जावेंगे एवं फ्लैटों का आवंटन उसी दिन उपस्थित आवेदन कर्ताओं के समक्ष सांय 04.00 बजे से शुरू कर दिया जावेगा। एक फ्लैट के लिए एक से अधिक विकल्प प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा उपस्थित आवेदकों के सामने आवंटन किया जायेगा। असामान्य परिस्थिति होने पर लॉटरी कार्यक्रम पृथक से निर्धारण करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
3. इस योजना में सामान्य पंजीकरण योजना के केवल इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, आवासीय योजना, जयपुर के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में करवाया गया पंजीकरण अभी तक निरस्त नहीं हुआ है एवं पंजीकरण राशि का अभी तक रिफण्ड प्राप्त नहीं किया है कोई आवास/फ्लैट प्राप्त नहीं हुआ है तथा किसी अन्य योजना में स्थानान्तरित नहीं करवाया गया है एवं पंजीकरण से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने पर फ्लैट का आवंटन सामान्य श्रेणी का ही नया आवेदक मानकर किया जा सकेगा।
4. पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट का आवंटन वर्षानुसार वरीयता की प्राथमिकता के क्रम में किया जावेगा।
5. नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत फ्लैट की मांग राशि आवेदक को आवंटन पत्र जारी होने से तीन माह में जमा करानी होगी एवं आवंटन पत्रानुसार देय राशि जमा नहीं कराने पर फ्लैट निरस्त होने की स्थिति में जमा पंजीकरण राशि नियमानुसार कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
6. इस योजना में आवेदक से आवेदन पत्र में केवल एक ही फ्लैट का विकल्प स्वीकार किया जायेगा। यदि आवेदक एक से अधिक फ्लैट लेना चाहता है तो अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. इस योजना में असफल आवेदक अपना डी0डी0 अगले कार्य दिवस में प्राप्त कर सकेंगे एवं अन्य फ्लैट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
8. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार उनके आय वर्ग के अनुसार निम्नांकित राशि का बैंक ड्राफ्ट "राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर" के पक्ष में देय बनवाकर जमा कराना होगा।

क्र. स.	आय वर्ग जिसके लिए आवेदक योग्य है	वार्षिक आय राशि रू	इस योजना के लिए पंजीकरण राशि रू.	इस योजना के लिए पूर्व ग्रहण राशि रू.	कुल देय डीडी का योग राशि रू.
1	अल्प आय वर्ग	1,00,001 /- से 2,50,000 /- तक	15,000 /-	10,000 /-	25,000 /-
2	मध्यम आय वर्ग (अ) हेतु उपलब्ध फ्लैट	2,50,001 /- से 4,50,000 तक	50,000 /-	40,000 /-	90,000 /-
3	मध्यम आय वर्ग(ब)	4,50,001 /- से 6,00,000 /- तक	80,000 /-	70,000 /-	1,50,000 /-

9. प्रस्तावित फ्लैटों का आवंटन "जहां हैं जैसे हैं" उसी स्थिति में किया जायेगा। इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में खुली बिक्री योजना में सम्मिलित फ्लैट को विलोपित किया जा सकता है।
11. अन्य जानकारी के लिए संबंधित कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता है।

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (0141-2723844)	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय (सैक्टर-6 एवं 7 की सम्पत्ति हेतु) 9/721 "ए", मालवीय नगर, जयपुर 0141-2550472	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह (सैक्टर-4, 9 एवं 10 की सम्पत्ति हेतु) सैक्टर-04 (प्रथम तल), इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर 0141-2973963
--	--	--

उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय,

राजस्थान आवासन मण्डल

जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर

दूरभाष संख्या :- 0141-2723844 फ़ैक्स-0141-2554549 (E-MAIL dhcjr3@rhbmail.in)



क्रमांक :-

दिनांक :-

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय :- इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जगतपुरा, जयपुर में खुली बिक्री योजना प्रारम्भ करने से संबंधित सूचना प्रकाशित कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जगतपुरा, जयपुर में खुली बिक्री योजना प्रारम्भ करने से संबंधित सूचना मण्डल नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(ए0के0रावत)

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर।